

जिला-नरसिंहपुर

प्ररूप-1

रेल से नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमा में प्रवेश करने की

सूचना

(कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरसिंहपुर द्वारा धारा 144 के तहत जारी आदेश के परिपालन में नरसिंहपुर जिले में रेल से प्रवेश करने वाले हर यात्री को उक्त प्ररूप भरकर रेलवे स्टेशन पर बनाये गये "आगमन पंजीयन काउण्टर" पर जमा कराना अनिवार्य है)

जिले में प्रवेश करने का विवरण

दिनांक	समय	रेलवे स्टेशन का नाम	रेल का नाम और नम्बर	नरसिंहपुर जिले में निवास का पूरा पता
1	2	3	4	5

यात्रा करने वाले व्यक्ति/ परिवार की जानकारी

क्र.	नाम	पिता का नाम	आयु	लिंग	मोबाईल नम्बर	सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ के लक्षण (हां/नहीं)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						

यात्रा प्रारंभ करने का विवरण

रेलवे स्टेशन, जहां से यात्रा प्रारंभ की गई है	जिला	प्रदेश	पूरा पता, जहां यात्रा करने से पूर्व रह रहे थे
1	2	3	4

कोरन्टाईन के सम्बंध में आदेश



कार्यालय द्वारा भरा जाये

आगमन पंजीयन  
काउन्टर क्रमांक

पंजीयन क्रमांक

नोट:- संस्थागत कोरन्टाईन के लिये लाल स्याही से IC लिखें तथा होम कोरन्टाईन के लिये नीली/ काली स्याही से HC लिखें।

हस्ताक्षर  
(प्राधिकृत कर्मचारी)



रेल से नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमा में प्रवेश करने की सूचना पर आगामी कार्रवाई हेतु अंतरिम  
आदेश

1.	जिले में प्रवेश करने का दिनांक	
2.	यात्री का नाम	
3.	सहयात्रियों की संख्या	
4.	यात्रा प्रारंभ करने का स्थान	
5.	जिले में निवास स्थान का क्षेत्र (नगरपालिका अथवा ग्राम का नाम लिखें)	
6.	आगामी कार्रवाई के लिये आदेश (संस्थागत कोरन्टाइन/ होम कोरन्टाइन) संस्थागत कोरन्टाइन लाल स्याही से लिखें	

निर्देश

1. कोरन्टाइन के सम्बंध में चिकित्सकीय परीक्षण के अधीन अंतरिम आदेश निम्नलिखित स्थितियों के अनुसार लिया गया है:-

क्रमांक	विवरण	कार्रवाई
1.	सर्दी खांसी बुखार के साथ सांस लेने में तकलीफ के लक्षण वाले यात्री	गहन मेडिकल जांच के लिये संस्थागत कोरन्टाइन
2.	प्रदेश के बाहर और इंदौर, भोपाल, उज्जैन से आने वाले यात्री जिनका निवास स्थान नगरपालिका क्षेत्र में है	गहन मेडिकल जांच के लिये संस्थागत कोरन्टाइन
3.	प्रदेश के बाहर और इंदौर, भोपाल, उज्जैन से आने वाले यात्री जिनका निवास स्थान ग्रामीण क्षेत्र में है	होम कोरन्टाइन
4.	अन्य समस्त यात्री	होम कोरन्टाइन

2. संस्थागत कोरन्टाइन हेतु आदेशित व्यक्तियों को बस से कोरन्टाइन सेंटर ले जाया जायेगा। जहां उनका चिकित्सकीय परीक्षण कर कोविड-19 का सेम्पल लिया जा सकता है। सेम्पल का रिजल्ट पाजिटिव आने पर उन्हें कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया जायेगा। निगेटिव आने पर कोरन्टाइन से मुक्त किया जायेगा।
3. होम कोरन्टाइन किये गये व्यक्ति आगामी 14 दिन तक कोरन्टाइन रहेंगे। घर से बाहर नहीं निकलेंगे और परिवार सहित किसी से भी सम्पर्क नहीं करेंगे। उल्लंघन की स्थिति में रु. 2000/- के अर्थदण्ड के साथ-साथ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही (गिरफ्तारी/ जेल) भी की जा सकती है। उक्त व्यक्तियों को निर्धारित प्ररूप में अंडर टेकिंग देना अनिवार्य होगा।
4. फेस मास्क लगाना, साबुन से बार-बार हाथ धोना और फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाये रखना अनिवार्य है अथवा रु. 1000/- तक का जुर्माना हो सकता है।
5. सभी व्यक्तियों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षर  
(प्राधिकृत कर्मचारी)